न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

ीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
त्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.
ण संख्याः- 511/2025

सनाया पुत्री श्री नितेश कुमार बउम्र 6 साल नाबालिग जरिये कुदरती बलीया माता चन्द्रकलां पत्नि श्री नितेशकुमार जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तह. व जिला हनुमानगढ़
आरव पुत्र नितेश कुमार बउम्र 03 साल नाबालिग जरिये कुदरती बलीया माता चन्द्रकलां पत्नि श्री नितेशकुमार जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तह. व जिला हनुमानगढ़

-:वादीगण

बनाम्

नितेशकुमार पुत्र श्री विजयसिंह जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तह. व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-:प्रतिवादी

थत :-
1. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता वादी
2. श्री मदन मूण्ड - अधिवक्ता प्रतिवादी
3. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 11.11.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी का सिविल या संहिता के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत पता शीर्षक प्रार्थना-पत्र में वर्णित अनुसार है।

कि प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित वादीगण एवं प्रतिवादी का सजरा खानदान निम्नलिखित हैः-

विजय सिंह
↓ -सलोचना
नितेश कुमार
↓ - चंद्रकला

सनाया आरव

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 15 एनडीआर बी जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के ना संख्या 44/37 के पत्थर नं0 146/340 (13) किला नं0 6/1/.228, 6/2/.025, 7, र नं0 146/343 (29) किला नं0 1 से 4, पत्थर नं0 147/343 (30) किला नं0 1/2/. 8, 10/2/.228, 11/2/.228, 20/2/.228, 21/2/.228, पत्थर नं0 147/344 (35) किला 1 से 3, 8 से 13 कुल 4.935 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला मुश्तरका खाता दर्ज है जिसमें प्रतिवादी के नाम 1/2 हिस्सा अर्थात 2.4675 हैक्टयर कृषि भूमि दर्ज है। प्रति ाबन्दी सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी के नाम दर्ज 2.4675 हैक्टयर कृषि न प्रतिवादी की स्वयं पैदाकर्दा सम्पति न होकर वादीगण के दादा स्व0 श्री विजयसिंह से प्राप्त

(3)

न व संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि है व जद्दी जायदाद है व प्रतिवादी के नाम दर्ज उक्त जद्दी जायदाद होने से वादीगण का प्रतिवादी के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर का हक व र है इस प्रकार वादीगण वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक नडीआर बी जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 44/37 कुल 4.935 हैक्टयर कृषि मय गैर मुमकिन खाला मुश्तरका खाता में प्रतिवादी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा अर्थात 2. हैक्टयर कृषि में 2/3 हिस्सा कृषि भूमि के हकदार खातेदार है व वादीगण इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद ने के अधिकारी है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल 2.4675 हैक्टयर भूमि में वादीगण का वाद-पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार 2/3 हिस्सा अर्थात 1.645 र कृषि भूमि का हक व अधिकार है। प्रतिवादी बुरी आदतों का शिकार हो चुका है व शराब व नशों का आदि हो चुका है तथा अपनी इन्ही बुरी आदतों व नशे की लत की पूर्ति के लिए उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज होने उसके मन बेजा लालच पैदा या है व प्रतिवादी ने उक्त भूमि को बैंक में ऋण रखकर ऋण से प्राप्त राशि का दुरूप्रयोग अपने नशे की आदतों में बर्बाद कर दिया है व अब अपनी इन्ही बुरी आदतों की पूर्ति के व गण का उक्त भूमि में हक मारने के लिए यह भूमि येनकेन प्रकारेण अन्य लोगों को जरिये बैय या अन्य हर प्रकार से अन्तरित करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादी को कोई कार नही है। जिससे वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कारी है कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक नं0 15 एन आर बी जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 44/37 कुल 4.935 हैक्टयर कृषि भूमि गैर मुमकिन खाला मुश्तरका खाता में प्रतिवादी के नाम 1/2 अर्थात 2.4675 हैक्टयर कृषि को जरिये रहन, बैय अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्ध रहें तथा उक्त भूमि सम्बन्ध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् कुल भूमि में गण का 2/3 हिस्सा भूमि का हक व हिस्सा होना स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में वादीगण के दर्ज करवाने में सहमति दे देवे व इस आराजी रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे तो टाल मटोल करते रहे व आखिर गत् सप्ताह मुकाम 15 एन डी आर बी में स्पष्ट इन्कार हो यही बिनाये वाद है।

यह कि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष केवल मात्र प्रतिवादी के विरूद्ध ही है जिस कारण य पक्षकारान को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही होने के कारण उन्हे पक्षकार मुकदमा नही या गया है।

यह कि प्रार्थना-पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु है। प्रश्नगत भूमि ननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के धिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 4/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

तः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्नलिखित तरीका डिक्री फरमाया जावेः-

क घोषणा फरमायी जावे कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तहसील हनुमानगढ के क 15 एनडीआर बी जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 44/37 कुल 4.935 क्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला मुश्तरका खाता में प्रतिवादी के नाम 1/2 अर्थात .4675 हैक्टयर कृषि भूमि में वादीगण 2/3 हिस्सा अर्थात 1.645 हैक्टयर कृषि भूमि के कदार खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

ख) कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है तिवादी वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक नं0 15 एन डी बी जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 44/37 कुल 4.935 हैक्टयर कृषि भूमि गैर मुमकिन खाला मुश्तरका खाता में प्रतिवादी के नाम 1/2 अर्थात 2.4675 हैक्टयर कृषि को जरिये रहन, बैय अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्ध रहें तथा उक्त भूमि म्बन्ध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादी ओर से राजीनामा पेश किया। वाद कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार कर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व मुताबिक सहमति के घोषणा की जाती है कि:- 15 एनडीआर बी के खाता सं. 44/37 में प्रतिवादी नितेश कुमार के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा त 2.4675 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी प्रत्येक को 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार त किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में लदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) नुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार , नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ....11.11.2025.... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया कर, सरे इजलास सुनाया गया।

:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ